न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 लौहरे पुत्र बृजलाल जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (नाऔलाद फौत–नाम हजफ)

2 खूबी पुत्र हरेत जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत)

2/1 राजेन्द्र
2/2 महेन्द्र
2/3 केरसिंह
2/4 रामवीर
2/5 लच्छा
2/6 सतीश
} पिसरान खूबी जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

2/7 सरूपी पत्नि खूबी निवासी नवलापुरा

2/8 मीरा पुत्री खूबी पत्नि श्योदान सिंह गुर्जर } निवासी घुनैनी तहसील
2/9 मछला पुत्री खूबी पत्नि रामेश्वर गुर्जर } बयाना जिला भरतपुर – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–16.03.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1–07 बीघा ग्राम डांडा (नवीन राजस्व ग्राम नवलापुरा) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1–07 बीघा ग्राम डांडा (नवीन राजस्व ग्राम नवलापुरा) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030–2033 तक के खाता संख्या 431 किस्म तालाबी–1 से श्री लौहरे पुत्र बृजलाल जाति गुर्जर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खूबी पुत्र हरेत जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये विरासत दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1–07 बीघा बाके ग्राम डांडा (नवीन राजस्व ग्राम नवलापुरा) को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2030–33, 2068–71, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 24, 486/08.06.86, 41 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/9 को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की सम्यक् तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण ना तो उपस्थित हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाऔलाद फौत होने के कारण उसका नाम हजफ किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1–07 बीघा तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2030–33 में श्री लौहरे पुत्र बृजलाल जाति गुर्जर निवासी नवलापुरा के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 112 किस्म तालाबी–1 रकबा 1–07 बीघा खूबी पुत्र हरेत जाति गूजर निवासी नवलापुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी अव्वल दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का नियमन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम डांडा (नवीन राजस्व ग्राम नवलापुरा) की आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1–07 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:00:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: